केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय, नई दिल्ली /Head Quarters, New Delhi
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi-110016.
Tel.: 26858570 Fax 26514179
Website: www.kvsangathan.nic.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव
स्वच्छ भारत — एक कदम स्वच्छता की ओर
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फा.सं.11011/विविध/2025-के.वि.सं.(मु0)/जसूप्र/23694 दिनांक 21/05/2026

समस्त उपायुक्त/निदेशक,
केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय/
आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ।

विषयः आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी ऑडिट हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों के नियमित अद्यतन के संबंध में।

महोदया/महोदय,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के वर्ष 2025-26 के ट्रांसपेरेंसी ऑडिट पूर्व अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों/आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाएं अद्यतन नहीं हैं अथवा अपूर्ण रूप से प्रदर्शित हैं, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं भारत सरकार द्वारा जारी Transparency Audit दिशानिर्देशों के अनुसार सूचनाओं का नियमित अद्यतन किया जाना आवश्यक है।

अतः सभी उपायुक्त/निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय/आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी-अपनी वेबसाइटों को पारदर्शी, अद्यतन एवं नागरिक-अनुकूल बनाए रखने हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कार्यवाही करना सुनिश्चित करें:-

1. **धारा 4(1)(b) के अंतर्गत अनिवार्य प्रकटीकरण**

- आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सभी मैनुअल एवं सूचनाएं नियमित रूप से अद्यतन की जाएं।
- यथासंभव सूचनाएं हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएं।

2. सूचनाओं का नियमित अद्यतन

- आदेश, परिपत्र, स्थानांतरण/पदस्थापन, निविदाएं, भर्ती सूचनाएं, समितियों का विवरण एवं संपर्क जानकारी समय-समय पर अपडेट की जाए।
- अप्रासंगिक एवं समाप्त हो चुकी सूचनाओं को वेबसाइट से हटाया जाए।

3. वेबसाइट की उपयोगिता एवं सुगमता

- सभी महत्वपूर्ण लिंक कार्यशील स्थिति में रहें।
- अपलोड किए गए दस्तावेज स्पष्ट रूप से पढ़ने एवं डाउनलोड करने योग्य हों।
- मुख्य पृष्ठ पर नवीनतम सूचनाएं एवं महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रदर्शित की जाएं।

5. संपर्क विवरण

- संबंधित अधिकारियों के नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी एवं दूरभाष संख्या अद्यतन रूप में प्रदर्शित की जाए।

पृष्ठ सं.02 पर जारी है...

6. आरटीआई संबंधी सूचनाएं

- CPIO, APIO एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए।
- RTI आवेदन/निस्तारण संबंधी आंकड़े नियमित रूप से अपडेट किए जाएं।

7. समय-सीमा

- समस्त लंबित अद्यतन कार्य इस पत्र के जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर पूर्ण किया जाए।
- तत्पश्चात अनुपालन प्रतिवेदन मुख्यालय को प्रेषित किया जाए।

8.उत्तरदायित्व एवं निगरानी

- वेबसाइट के नियमित रख-रखाव एवं अद्यतन हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए।
- वेबसाइट अद्यतन में किसी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

भवदीया,

21/05/2026

(नीलम)

संयुक्त आयुक्त(प्रशा.) एवं

नोडल अधिकारी (जसूप्र)

प्रतिलिपिः

(1.) निजी सचिव, आयुक्त, केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।

(2.) निजी सचिव, अपर आयुक्त(प्रशा.), केविसं(मु.), नई दिल्ली को सूचनार्थ।

(3.) सहायक आयुक्त(ईडीपी) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.), नई दिल्ली की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

(4.) गार्ड फाईल।